न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर–ग्रामीण

राजस्व मुल वाद सं.– 14/2024

वादीः नाथूराम पुत्र स्व. श्री गोकलराम, आयु 51 वर्ष, जाति माली, निवासी मालियों की ढ़ाणी सम्बाड़िया रोड़, ग्राम खेजड़ला, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

बनाम

प्रतिवादीः– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 राज. अधिनियम 1956 बाबत रेकर्ड दुरूस्ति /शुध्दि

उपस्थिति :– वादीगण की ओर से श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता

18/08/24

प्रतिवादी सरकारी पैरोकार

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम खेजड़ला, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 989रकबा 3.6324 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम आई हुई है जिसे वाद पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त कृषि भूमि पूर्व मे पूनाराम पूत्र आसुराम,तेजाराम पुत्र पूनाराम जाति माली,निवासी खेजड़ला के नाम दर्ज थी, जिनसे वादी व वादी के पिता गोकलराम द्वारा जरियें रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनां 11.05.1979 को खरीद की। उक्त रजिसटर्ड बैचाननामा में लिपिकीय त्रुटिवश वादी के सही नाम नाथूराम के स्थान पर प्रलेख लेखक मोहनलाल कटारिया द्वारा अशुद्व नाम नाथाराम लिख दिया उक्त रजिस्टर्ड बैचानामा के अनुसार ही वादग्रस्त कृषि भूमि पर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी का अशुद्व नाम नाथाराम दर्ज किया गया तब से वादग्रस्त कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दीमें वादी का अशुद्व नाम है नाथाराम दर्ज चला आ रहा है। जिसकी प्रथम बार जानकारी वादी को वादी के पिता गोकलराम फोत होने पर उनका फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज कराने पर हुई। जिस पर वादी द्वारा प्रतिवादी से सम्पर्क किया तथा उन्हे वादग्रस्म कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी के अशुद्व नाम नाथाराम के स्थान पर शुद्व/सही नाम नाथुराम शुद्व किये जाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी ने वादी के निवेदन पर वादी को कहा कि इस हेतु शुद्वी पत्र पेश करो जब वादी ने प्रतिवादी से निवेदन किया कि किक्रेतागण फोत हो चुके है इसलियें शुद्वि पत्र पेश नही किया जा सकता है तब प्रतिवादी द्वारा बिना शुद्वि पत्र के वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का अशुद्व नाम नाथाराम के स्थान पर सही नाम नाथूराम शुद्व किये जाने से मना कर दिया तथा प्रतिवादी ने वादी को कहा कि इस हेतू श्रीमान सक्षम है।

वादी का सही नाम नाथूराम होने के संबंध में वादी के सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, जन आधार कार्ड,परिचय पत्र,परिवार राशन कार्ड की प्रति वाद पत्र के साथ पेश है,जिसमे वादी का सही नाम नाथुराम दर्ज है,इसके अलावा वादी के पिता गोकलराम फोत होने पर वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में दर्ज किये गये फौतेदगी म्यूटेशन के आधार पर भी वादी का सही नाम वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अशुद्व नाम नाथाराम दर्ज होने के कारण वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में सरकारी सुविधाओं को प्राप्त नही कर पा रहा है। इसलियें वादी के सरकारी दस्तावेज में दर्ज शुद्व नाम नाथुराम के अनुसार वादी के वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज अशुद्व नाम नाथाराम के स्थान पर शुद्व नाम नाथुराम दुरुस्त/शुद्व किया जाना आवश्यक है। इस हेतू यह वाद बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती का माननीय

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

न्यायालय के समक्ष पेश है।वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी के दर्ज अशुद्व नाम नाथाराम के स्थान पर सही व शुद्व नाम नाथुराम दुरूस्त किये जाने से वादी के वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में प्राप्त हक व अधिकार व अन्य दर्ज सहखातेदार के हक व अधिकार प्रभावित नही होंगे। वादग्रस्त कृषि भूमि के रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 11.05.1979 में लिपिकी त्रुटिवश प्रलेख लेखक द्वारा वादी का सही नाम नाथूराम के स्थान पर अशुद्व नाम नाथाराम लिखने से रजिस्ट्री के अनुसार ही वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी का अशुद्व नाम नाथाराम दर्ज किये जाने से तथा इसके पश्चात लगातार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी का अशुद्व नाम नाथाराम दर्ज चला आने से,जिसकी जानकारी वादी को वादी के पिता के फौतेदगी म्यूटेशन के दौरान होने पर शुद्वि हेतू प्रतिवादी को निवेदन करने पर प्रतिवादी द्वारा बिना शुद्वि पत्र के शुद्वि किये जाने से मना करने पर बमुकाम ग्राम खेजड़ला,तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ जो निरन्तर जारी है।दावा बाबत्रेकर्ड दुरूस्ती के लिये होन`से तथा विवदग्रस्त कृषि भूमि राजस्व ग्राम खेजड़ला,तहसील बिलाड़ा की सीमा में स्थित होने से प्रस्तुत वाद माननीयन्यायालय को सुनवाई करने व श्रवण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। दावा कानूनन न्यायालय शुल्क 1/– रूपयें के कोर्ट फीस स्टाम्प पर पेश है।

अन्त में निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम खेजड़ला,तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 989 रकबा 3.6324 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम की चालु जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 में दर्ज वादी के अशुद्व नाम नाथाराम पुत्र गोकलराम हिस्सा 1/2 जाति माली सा. देह खातेदार के स्थान पर वादी का सही नाम नाथूराम पुत्र गोकलराम हिस्सा 1/2 जाति माली सा.देह खातेदार दुरूस्त किये जाने की डिक्री/आदेश जारी फरमावे तथा मुताबिक डिक्री/आदेश के अनुसार दुरूस्ती इन्द्राज दर्ज किये जाने हेतू प्रतिवादी को आदेशित किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया ।

प्रतिवादी द्वारा वादी के वाद का जवाब पेश किया गया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि

1. राजस्व ग्राम खेजड़ला, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा मं स्थित खसरा नं. 989 रकबा 3.6324 है किस्म बारानी प्रथम आई हुई है जिसके खसरा नं. वर्तमान जमाबन्दी चौसाला अनुसार 143 है।

2. उक्त कृषि कार्य में पूनाराम/आसूराम, तेजाराम/पुनाराम जाति माली निवासी खेजड़ला के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी।

3. वादी व वादी के पिता गोकलराम द्वारा उक्त भूमि जरियें रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 11.05.1979 खरीद की थी।

4. उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा में लिपिकीय त्रुटिवश वादी के सही नाम नाथूराम के स्थान पर अशुद्व नाम नाथाराम लिख दिया गया जो बैचाननामा अनुसार ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ तब से उक्त कृषि भूमि में वादी का अशुद्व नाम नाथाराम चला आ रहा है।

5. वादी द्वारासाक्ष्य के रूप में सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, परिचय पत्र,राशन कार्ड इत्यादि प्रस्तुत कर अपना नाम नाथूराम होना बताया।

6. वादी के पिता गोकलराम के विरासतनामा में भी वादी का नाम नाथूराम दर्ज किया गया।

राजस्व ग्राम खेजड़ला,तहसील बिलाड़ा की सीमा में स्थित खसरा सं. 989 रकबा 3.6324 है। किस्म बारानी प्रथम में दर्ज अशुद्व नाम नाथाराम पुत्र गोकलराम हिस्सा 1/2 जामि माली सा. देह खातेदार के स्थान पर वादी का सही नाम नाथूराम पुत्र गोकलराम हिस्सा 1/2 जाति माली सा. देह खातेदार दुरूस्त किया जाना उचित है।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई वादी द्वारा प्रस्तुतत वाद पत्र व संलग्न दस्तावेज तथा प्रतिवादी की दुरूस्ती के संबंध में सहमति के आधार पर राजस्व ग्राम खेजड़ला,तहसील बिलाड़ा की सीमा में स्थित खसरा सं. 989 रकबा 3.6324 के संबंध में चाहे गये अनुतोष के अनुसार राजस्व रेकर्ड चालु जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के अनुसार दर्ज अशुद्व नाम नाथाराम पुत्र गोकलराम हिस्सा 1/2 जाति माली सा. देह खातेदार के स्थान पर वादी का सही नाम नाथूराम पुत्र गोकलराम हिस्सा 1/2 जाति माली सा. देह खातेदार दुरूस्त किया जाता है ।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम खेजड़ला,तहसील बिलाड़ा की सीमा में स्थित भूमि खसरा सं. 989 रकबा 3.6324 की चालु जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 में दर्ज अशुद्व नाम नाथाराम पुत्र गोकलराम जाति माली ग्राम खेजड़ला,तहसील बिलाड़ा खातेदार के स्थान पर सही नाम नाथूराम पुत्र गोकलराम जाति माली ग्राम खेजड़ला,तहसील बिलाड़ा दुरूस्त किया जाता है।

मुताबिक आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती का नामान्ततरकरण स्वीकृत करने हेतू तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे। तहसीलदार बिलाड़ा को निर्णय में डिक्री पर्चा की नकल साथ भेजकर पालना रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफतर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 18/06/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, जिला जोधपुर

व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

वादी :– नाथूराम पुत्र गोकलराम जाति माली ग्राम खेजड़ला,तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

प्रतिवादी :– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बिलाड़ा।

दावा अर्न्तगत धारा 88 आर.टी.एक्ट सपठित धारा 136 राज. भ्ज्ञू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत्‌रेकर्उ दुरूस्ती / शुद्वि

राजस्व वाद संख्या 14 / 2024

निर्णय दिनांक:– 18/06/24

यह मुकदमा आज वास्ते इनाफिसाल तई रूबरू मेरे व हाजिर श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी त्रका वाद डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम खेजड़ला,तहसील बिलाड़ा की सीमा में स्थित भूमि खसरा सं. 989 रकबा 3.6324 की चालु जमाबन्दी संवत्‌ 2073 से 2076 में दर्ज अशुद्व नाम नाथाराम पुत्र गोकलराम जाति माली ग्राम खेजड़ला,तहसील बिलाड़ा खातेदार के स्थान पर सही नाम नाथूराम पुत्र गोकलराम जाति माली ग्राम खेजड़ला,तहसील बिलाड़ा दुरूस्त किया जाता है।

मुताबिक आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती का नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतू तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तहसीलदार बिलाड़ा को निर्णय में डिक्री पर्चा की नकल साथ भेजकर पालना रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।.

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा